मि.० 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म व में ज
11.9.20	पत्रावली पेश। प्रकरण का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। संक्षेप में प्रकरण निम्न प्रकार है, कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88-89-90-188 R.T.Act 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि ग्राम लखोलिया की भूमि सालिक खसरा नम्बर 174 रकबा 15 बीघा में से दि0 27.6.1970 को आवंटन कमेटी द्वारा वादीगण के पिता/पति अमरा पुत्र धांसी को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। तब से आज दिनांक तक उक्त आवंटित भूमि पर वादीगण के पिता/पति तथा उनके बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं की गई है। अतः कमन्न कर ख0 नं. 174 की 5 बीघा भूमि पर खातेदारी स्वत्व की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश चाहा गया। प्रकरण में जवाब सरकार पेश किया गया। वादी के वादपत्र एवं जवाब के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई। वादी को साक्ष्य वादी को अवसर दिया गया। काफी अवसर दिये गये। 100+750 = 850 रुपये की cost पर भी अवसर दिये। दौरान साक्ष्य वादीगण द्वारा शपथ पत्र नाकू D/o अमरा, शपथ पत्र मंजू D/o अमरा, शपथ पत्र हीरा बाई W/o अमरा, शपथ पत्र राजू पुत्र अमरा, शपथ पत्र रामसिंह S/o नाथ(राम) सिंह	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शपथ-पत्र बंशीलाल S/O कन्हैयालाल, आवंटन प्रार्थना पत्र मय आवंटन आदेश दि0 27.6.70 प्रदर्श-1, मृत्यु प्रमाण पत्र अमरा S/O धौंली बंजारा प्रदर्श-2A, नकल जमाबंदी तमोलिया 2057-60 खाता नं0 1 प्रदर्श-2, छायाप्रति पासबुक 2026 दि0 27.6.70 प्रदर्श 3A, भूमि नगर का फोटो प्रदर्श-4A (अपठित) पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण से वादपत्र के तथ्यों को दोहराया गया। दौरान बहस हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

वादीगण के वादपत्र, अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रतिवादी के जवाब एवं वादीगण के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी नं0 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने शपथ-पत्रों के साथ पूर्व वर्णित प्रदर्श-1 से प्रदर्श-4 प्रस्तुत किये गये। प्रदर्श-1 से प्रकट होता है कि अमरा पुत्र धौंली जाति बंजारा द्वारा ग्राम तमोलिया की भूमि खसरा नम्बर 974 रकबा 9 बी0 के आवंटन हेतु प्रा0 पत्र पेश किया जिस पर आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दि0 27.6.70 को उक्त प्रार्थी को खसरा नं0 974 की 9 बी0 भूमि आवंटित की। साथ प्रदर्श-2A आवंटी अमरा की मृत्यु दि0 8.4.11 को होना प्रकट होता है।

...ण्डी अधिकारी
...मगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	प्रदर्श-2 जमाबंदी ग्राम तमोलिया खाता नं० 1 में खसरा नं. 174 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि सिवाय चक दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 3A में आवंटी के नाम संवत 2026 में ख.नं. 174 रकबा 5 बीघा की पास-बुक जारी किया जाना प्रकट होता है। अतः यह तनकी बहक वादीगणा तय की जाती है। तनकी नं० 2:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगणा पर था। वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे के समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु स्वयं प्रदर्श 3A यह प्रतीत होता है, कि आवंटी अमरा को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा देकर पासबुक जारी की गई है। अतः यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है। तनकी नं. 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगणा पर था। स्वयं शपथ-पत्र, एवं प्रदर्श-1 तथा 3A. व 4A. से यह प्रमाणित होता है, कि वादग्रस्त भूमि अमरा पुत्र धौली को आवंटित की जाकर उसके पक्ष में पास बुक जारी की गई थी। प्रतिकार सरकार के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रकट होता हो, कि वादीगणा के पिता/पति को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया हो, या आवंटी के	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
द्वारा शर्त बैंक की है जिसके परिणाम के स्वरूप आवेदन निरस्त कर दिया है। अतः आवेदन आदेश अनुसार वादीगणा अनुतोष पाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं अतः यह तनकी बहक वादीगणा तय की जाती है तनकी नं० 4:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगणा पर था। वादीगणा द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये अन्य तनकियात की विवेचना तथा निष्कर्ष अधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है तनकी नं० 5:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि वादगत भूमि पर वादीगणा का कब्जा नहीं है। प्रदर्श-2 के अनुसार वादगत भूमि मौ॰ का[illegible] बाबत अवश्य दर्ज है अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है तनकी नं. 6:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत अमरा की मृत्यु 8.4.2011 को होना तथ्य प्रदर्श-2 से प्रमाणित है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	प्रतिवादी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया कि वादीगण अलोटी अमान के उत्तराधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है। तनकी नं० 7:- वादीगण के पिता/पति को ग्राम तमोलिया की भूमि खसरा नम्बर १७४ (रकबा ५) आवंटन होना प्रमाणित है आवंटी के नाम पास बुक जारी किया जाना प्रमाणित है। प्रतिवादी (पेशकार सरकार) द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। प्रतिवादी के तथ्य कल्पनाधारित ही है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार करने के उपरान्त वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम तमोलिया की भूमि खसरा नम्बर १७४ में से (रकबा ५) का समभाग में खातेदार घोषित किया जाता है। रिकार्ड में अमल दरामद हो। प्रति० के विरुद्ध स्थाई व्यादेश निषेध्य किया जाता है, कि वे वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। वादीगण के कब्जे में मदाखलत व मजाहमत स्वयं व जरिये दीगर नहीं करें। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील व तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Judl/Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
ब इजलास देशल दान (I.A.S.)

रामू-मालू बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत ~~88, 89, 90~~ 188. R.T.Act.1955

मुकद्दमा नं. 01 सन् 2012

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू देशलदान (I.A.S.)

बहाजरी श्री नरेन्द्र सिंह एड. मिनजानिब मुद्दई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम नमोलिया की भूमि खसरा नम्बर 904 में से (रकबा 4) का समभाग में खातेदार घोषित किया जाता है। रिकार्ड में अमल दरामद हो। प्रतिवादी को जरिये स्थाई व्यादेश निषेध किया जाता है कि वे वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत स्वयं व जरिये दीगर नहीं करें।

चीज — मुबालिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....	—		स्टाम्प वकालतनामा	....	—	
स्टाम्प वकालतनामा	....	—		स्टाम्प अर्जी	....	—	
स्टाम्प वजह सबूत	....	—		महनताना वकील पर	....	—	
महनताना वकील	....	—		खर्चा गवाहान	....	—	
खर्चा गवाहान	....	—		फीस कमिश्नर	....	—	
फीस कमिश्नर	....	—		बाबत इजराय हुक्मनामा	....	—	
बाबत इजराय हुक्मनामा	....	—		मुतफर्रिक	....	—	
मुतफर्रिक	....	—		मीजान ...		—	
मीजान....		—					

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। 850/- आठ सौ पचास रुपये cost अप्रार्थी वादीगण को अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म